:: न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सीमलवाड़ा जिला–डूँगरपुर राजस्थान ::

पीठासीन अधिकारीः– विवेक गुर्जर, RAS

प्रकरण सख्याः–12/2023 दायर दिनांकः–31.03.2023

1. कुलसुम पिता सुलेमान घांची उम्र वयस्क जाति घांची
2. जायदा पिता सुलेमान घांची उम्र वयस्क जाति घांची
3. नफीसा पिता सुलेमान घांची उम्र वयस्क जाति घांची
4. फरीदा पिता सुलेमान घांची उम्र वयस्क जाति घांची
5. हमीदा पिता सुलेमान घांची उम्र वयस्क जाति घांची
   निवासीयान सीमलवाड़ा तहसील सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर राजस्थान।

––प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री ईस्माईल पिता गफुर घांची उम्र वयस्क जाति घांची निवासी सीमलवाड़ा
2. श्री हबीब पिता गफुर घांची उम्र वयस्क जाति घांची निवासी सीमलवाड़ा
3. भूमिधारी तहसीलदार सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर राजस्थान।

––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम
सपठित धारा 151 जा.दी.

उपस्थितः–

1. अधिवक्ता श्री बालगोविन्द पाटीदार प्रार्थीगण की ओर से।
2. पेरोकार सरकार, तहसीलदार सीमलवाड़ा की ओर से।

:: निर्णय :: दिनांक 13/10/2025

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या एक से दो गांव सीमलवाडा तहसील सीमलवाडा के स्थायी निवासी है। प्रार्थीयागण खेतीबाडी वमजदुरी कर अपना व अपने परिवार का जीवन यापन कर रही है। प्रार्थीयागण के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी मौजा सीमलवाडा में खाता संख्या 1156 खसरा नम्बर 3417/2205 कुल खसरा 1 कुल रकबा 0243 हैक्टेयर, खाता सख्या 1162 खसरा सख्या 2679/2556 रकबा 0243 होकर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। प्रार्थना पत्र कारण आज से 20 दिन पूर्व अप्रार्थीगण प्रार्थीयागण के कब्जे काश्त की मौजा सीमलवाडा में खाता संख्या 1156 खसरा नम्बर 3417/2205 कुल खसरा 1 कुल रकबा 0243 हैक्टेयर, खाता सख्या 1162 खसरा सख्या 2679/2556 रकबा 0243 मे जबरन अतिक्रमण करने की नियत से उक्त आराजी मे घुस आये तथा जमीन हडपने की धमकी देने लगे तो प्रार्थीया ने मौके पर जाकर भुमि प्रार्थीयागण की खातेदारी होने की बात की तो अप्रार्थीगण ने मौके पर भुमी अपनी बताकर सीमा विवाद करने लगे। जिस पर प्रार्थीयागण ने कहा कि वह वादग्रस्त आराजी में

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीयागण राजस्व रिकॉर्ड अनुसार काबिज होकूर काश्त कर रहे है ऐसे में तुम्हे कोई झंगडा करने का हक अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण ने राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी व नक्शा दिखाकर समझाने की काफी कोशिश की लेकिन समझने को तैयार ही नहीं हुए तथा अप्रार्थीगण ने जबरन वादग्रस्त आराजी का अपनी बताकर विवाद किया जिस पर प्रार्थी ने दिनांक 23.05.2.23 को श्रीमान तहसिलदार साहब सीमलवाडा से सीमाकंन का आदेश करवाया लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर विवाद करने से सिमांकन हो पाने व पुर्व की निशानदेही होने के बादजुद अप्रार्थीगण द्वारा भुमी की सीमा बिन्दुओ को खुर्द बूर्द कर दिया। जिससे विवाद बढ़ रहा है ऐसे में प्रार्थी की खातेदारी आराजी की पत्थर गढी कर सीमाकींत किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी वादग्रस्त आराजी में राजस्व रिकॉर्ड अनुसार कब्जा होकर काश्त करता हुआ आ रहा है। प्रार्थी ने राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी व नक्शा दिखाकर समझाने की काफी कोशिश की लेकिन समझने को तैयार ही नहीं हुए। प्रार्थी की आराजी में सीमा विवाद करने लगे। जिससे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पत्थर गढी करना आवश्यक हो गया जिससे म्याद अवधि में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी होने के बावजुद अप्रार्थीगण जबरन भुमी हडपने के लिये आये दिन झंगडा फंसाद कर परेशान करते हैं। वादग्रस्त भुमि पर अतिक्रमण करने की नियत से अप्रार्थीगण प्रार्थी से झंगडा फंसाद व जान से मारने की धमकीया देते है। जबकि प्रार्थी का आराजी पर जन्म से अधिकार निहित है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी की सीमा में पूर्व में की गई पत्थरों की निशानदेही को खुर्द बुर्द कर दिया है तथा प्रार्थी को बेदखल करने की नियत से वादग्रस्त आराजी में घुस गये। जबकि प्रार्थीगण के कमाई का एकमात्र जरीया कृषि है ऐसे में वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने पर वंचित हो जाएगा। तथा प्रार्थी का परिवार भुखा मर जाएगा। प्रार्थी को भारी आर्थिक क्षति होगी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। अप्रार्थी संख्या 1 से 10 को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिये पाबन्द किये जाने आवश्यक हैकि वे प्रार्थीयागण के कब्जे काश्त की मौजा सीमलवाडा में खाता संख्या 1156 खसरा नम्बर 3417/2205 कुल खसरा 1 कुल रकबा 0243 हैक्टेयर, खाता सख्या 1162 खसरा सख्या 2679/2556 रकचा 0243 में किसी प्रकार का विवाद नहीं करे व प्रार्थी को काश्त में रूकावट उत्पन्न नहीं करे। प्रार्थीगण की मौजा सीमलवाडा में खाता संख्या 1156 खसरा नम्बर 3417/2205 कुल खसरा 1 कुल रकबा 0243 हैक्टेयर, खाता सख्या 1162 खसरा सख्या 2679/2556 रकबा 0243 वादग्रस्त आराजी का पत्थर गढी कराने आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 01 व 02 के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए, लेकिन विपक्षीगण संख्या 01 व 02 की ओर से न्यायालय में कोई उपस्थित नहीं हुआ। विपक्षीगण संख्या 01 व 02 को जवाब पेश करने हेतु अवसर दिये गये, जिसके बावजूद विपक्षीगण न तो स्वयं उपस्थित हुए न ही उनकी ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ। विपक्षीगण संख्या 01 व 02 का जवाब बंद किया गया। विपक्षी सं. 03 तहसीलदार सीमलवाड़ा का जवाब प्रस्तुत हुआ। तहसीलदार

Scanned with OKEN Scanner

सीमलवाड़ा द्वारा अपने जवाब में, प्रार्थीया का सीमलवाड़ा निवासी होना स्वीकार किया गया है। प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र में वर्णित भूमि खसरा संख्या 3417/2205 राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के नाम दर्ज होना स्वीकार किया है किन्तु खसरा नंबर 2679/2556 सुलेमान पिता हासम के नाम दर्ज होना बताया है तथा शेष तथ्य प्रार्थी द्वारा स्वयं के स्तर से सिद्ध करना बताया है। तहसीलदार सीमलवाड़ा द्वारा यह तथ्य प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में वर्णित भूमि खसरा नंबर 3417/2205 एवं 2679/2556 आवासीया प्रयोजनार्थ रूपान्तरित होकर किस्म आबादी दर्ज है। मौके पर निर्माण नहीं है। किस्म आबादी होने इस पर कृषि भूमि का कानून लागू नहीं होते है। अतः प्रार्थना–पत्र खारिज होने योग्य बताया है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र व दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार सीमलवाड़ा द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में वर्णित भूमि तहसीलदार सीमलवाड़ा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार कृषि भूमि नहीं है। अतः कृषि भूमि नहीं होने के कारण प्रार्थीगण को उनके द्वारा चाही गयी दादरसी प्रदान किया जाना न्यायसंगत नहीं है तथा प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

::आदेश::

विद्वान अधिवक्ता की बहस एवं पत्रावली पर मौजूद समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजों के अवलोकन पश्चात् न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में वर्णित भूमि, कृषि भूमि नहीं होने के कारण प्रार्थीगण को उनके द्वारा चाही गयी दादरसी प्रदान किया जाना न्यायसंगत नहीं होने से प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है।

(विवेक गुर्जर, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

उक्त निर्णय आज दिनांक 14/10/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner